



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2011/पौष 7, 1933

No. 690]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2011/PAUSA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 905(अ).—स्वापक द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (vii), धारा 4 एवं 76 के साथ पढ़ें, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम स्वापक द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 के नाम से अभिहित किए जाएंगे।

(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985, में—

(क) नियम 67ए में—

(ए) खंड (iii) के बाद उप-नियम (क) में निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, नामतः :—

“(iv) सरकार के प्राधिकार द्वारा अधवा अधीन तथा उस सरकार द्वारा अनुमोदित वन्य जीवों को नियंत्रित अधवा गतिहीन करने का उद्देश्य”,

(बी) उप-नियम (ख) में “चिकित्सा अधवा वैज्ञानिक कार्य करने वाले व्यक्तियों” शब्दों के बाद “अथवा खंड (क) के उप-खंड (iv) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी” शब्द शामिल किए जाएंगे।

(ख) फार्म 7 में,—

(ए) मद 1 के लिए, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“1. लेबोरेटरी/अनुसंधान संस्था/अस्पताल/डिस्पेंसरी/व्यक्ति/प्राधिकारी के नाम”

(बी) मद 5 के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“5. प्राप्त/खरीद की गई मात्रा”

[फा. सं. एन/11011/5/2011-एनसी-11]

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

प्रपञ्ची :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) देखें संख्या सा.का.नि. 837(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985 में प्रकाशित किया गया एवं अधिसूचना का.आ. 786(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556(अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350(अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214(अ) दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217(अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011 तथा सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011 के द्वारा बाद में संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2011

**G.S.R. 905(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vii) of clause (a) of sub-section (I) of Section 9 read with Sections 4 and 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2011.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985,—
  - (a) In rule 67 A—
    - (A) in sub-rule (a), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—
 

“(iv) the purpose of restraining or immobilising wild animals by or under the authority of the Government and approved by that Government.”;
    - (B) in sub-rule (b), after the words “persons performing medical or scientific functions” the words “or the authority exercising the powers under sub-clause (iv) of clause (a)” shall be inserted.
  - (b) In Form 7,—
    - (A) For item 1, the following item shall be substituted, namely :—
 

“1. Name of laboratory/research institution/hospital/dispensary/person/authority”;
    - (B) For item 5, the following item shall be substituted, namely :—
 

“5. Quantity obtained/purchased”.

[F. No. N/11011/5/2011-NC-II]

T. KUNDHAVI, Under Secy.

**Note :—**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications S.O. 786(E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599(E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748(E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated, the 14th February, 1995, G.S.R. 556(E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25(E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509(E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350(E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214(E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763(E), dated the 14th November, 2002, G.S.R. 115(E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129(E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217(E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95(E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 736(E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639(E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661(E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739(E), dated the 11th April, 2011 and G.S.R. 470(E), dated the 21st June, 2011.